भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2494

(जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।)

गलत कर छूट का दावा करने के मामले

2494. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्जः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आयकर विभाग ने विगत पांच वर्षों के दौरान फर्जी, जाली या असत्यापनीय प्रविष्टियों के माध्यम से गलत कर छूट का दावा करने के मामलों का पता लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने ऐसे फर्जी दावों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित जांच और अंतर-एजेंसी समन्वय को सुदृढ़ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इसमें शामिल संस्थाओं, मध्यस्थों या लाभार्थियों की पहचान की है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की है;
(घ) क्या जांच, सत्यापन या निर्धारण में चूक के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है जिसके कारण ऐसी अनियमितताएं हुईं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) सत्यापन, डिजिटल कर अनुपालन, धोखाधड़ी का पता लगाने और वास्तविक समय संपरीक्षा निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं या किए जाने हैं?

उत्तर:

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान, आयकर विभाग ने कुछ गलत तरीके से ली गयी कर छूटों और गैर-वाजिब़ कटौती के दावों के मामलों का पता लगाया है। ऐसे मामले, अन्य बातों के अलावा, डेटा विश्लेषण और सत्यापन की क्रियाओं के कारण सामने आए हैं, और इनकी ऐसी संस्थाओं, पेशेवर मध्यस्थों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ की गई तलाशी और सर्वेक्षणों के माध्यम से पुष्टि की गई है। जिनके बारे में संदेह है कि

इन्होंने ऐसे दावों को करने में अपना सहयोग दिया है, इन कार्रवाइयों के ही परिणामस्वरूप कर चोरी और आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रावधानों के अन्य उल्लंघनों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर, आयकर अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की गई है।

(ख) : सीबीडीटी ने एक आंतरिक (इन-हाउस) डेटा विश्लेषण प्रणाली लागू की है जो वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफटी), स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) विवरण, जीएसटी डेटा, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उच्च मूल्य के लेनदेन, आईजी (पंजीकरण)/रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रार आदि से अचल संपत्ति की खरीद/बिक्री सहित तृतीय पक्षों से प्राप्त सूचनाओं और लेनदेन संबंधी डेटा को एकत्रित और विश्लेषण करती है, ताकि संभावित कर चोरी के मामलों की पहचान की जा सके।

इसके अलावा, कर चोरी के जोखिम को चिह्नित करने के लिए जोखिम नियम तैयार किए जाते हैं। जिसके लिए विभिन्न स्रोतों-आयकर रिटर्न (आईटीआर), कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट, तृतीय-पक्ष द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेज और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के दस्तावेज से प्राप्त आंकड़ों का व्यवस्थित और पहचान-रहित विश्लेषण (ब्लाइंड एनालिसिस) किया जाता है। जिनके माध्यम से कर चोरी की संभावना दर्शाने वाले रिटर्न और लेनदेन की पहचान की जाती है। जोखिम संबंधित नियम बनाने की प्रक्रिया गतिशील है, जिसमें इन नियमों को लगातार संशोधित और परिष्कृत किया जाता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नज (मार्गदर्शन और सक्षमता के लिए आंकड़ों का हस्तक्षेप-रहित उपयोग) अभियान शुरू किए हैं। ये व्यापक प्रौद्योगिकी-आधारित उपाय हैं जो कर संग्रहण दक्षता में सुधार के लिए डेटा विश्लेषण, विधायी सक्षमता, व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि और डिजिटल संचार प्लेटफार्मों का लाभ उठाते हैं, और प्रवर्तन के बाद की कार्रवाई के बजाय निवारक, प्रौद्योगिकी-सक्षम अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वह भी गैर-हस्तक्षेप वाले तरीके से। **सक्षम**, **नज़** अभियानों के कार्यान्वयन की सात-चरणीय रणनीति है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. संकलन - विभिन्न स्रोतों से डेटा/सूचना का व्यवस्थित संकलन और संग्रह।
2. अनुसंधान - जोखिम पहचान के लिए ठोस शोध, विश्लेषण और अंतर्दृष्टि उत्पन्न करना।
3. क्रियान्वयन - लक्षित परिणामों के लिए अंतर्दृष्टि को कार्रवाई योग्य उपायों में परिवर्तित करना।
4. संपर्क - जागरूकता पैदा करने और अनुपालन व्यवहार को मार्ग निर्देशित करने के लिए सक्रिय संचार।
5. हस्तक - करदाताओं को दायित्वों को पूरा करने में सहायता प्रदान करना।
6. अधिकार - अधिकारों, पारदर्शिता और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना, विश्वास और निष्पक्षता को बढ़ावा देना।

7. मूल्यांकन - प्रभाव को मापने और कार्यों को परिष्कृत करने के लिए निरंतर निगरानी और मूल्यांकन।

इन अभियानों के तहत, उचित जोखिम विश्लेषण के बाद चयनित करदाताओं को उनके पहले से दाखिल किए गए आयकर रिटर्न (आईटीआर) की समीक्षा करने और उसमें संशोधन/अद्यतन करने के लिए संचार माध्यम से संदेश भेजा जाता है। करदाताओं का चयन उन्नत जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया जाता है, जिसमें उनकी आईटीआर में संपत्तियों या आय की गलत या गैर-रिपोर्टिंग, या कटौतियों या छूटों के अधिक दावों की पहचान की जाती है।

इन अभियानों को राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रमों का भी समर्थन प्राप्त था, जिसमें नियोक्ताओं को शामिल करके करदाताओं को संशोधित रिटर्न/विलंबित रिटर्न/अद्यतन रिटर्न दाखिल करके विसंगतियों को स्वेच्छा से ठीक करने के लिए जागरूक किया गया था।

पिछले दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26) में सक्षम नज़ अभियानों के परिणाम इस प्रकार हैं –

दाखिल किए गए अद्यतन/संशोधित आयकर रिटर्न की संख्या	1.25 करोड़ रुपये
भुगतान किया गया अतिरिक्त कर	9,493.66 करोड़ रुपये
इस अभियान का राजस्व पर प्रभाव	12,121.91 करोड़ रुपये

जहां तक इन मामलों में अंतर-एजेंसी समन्वय का संबंध है, सीबीडीटी क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों (आरईआईसी) के मंच और नोडल अधिकारी तंत्र के माध्यम से अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ सक्रिय रूप से जानकारी साझा करता है। इसके अतिरिक्त, सीबीडीटी और अन्य एलईए, जैसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के बीच भी सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है, जिसके तहत संबंधित विभाग/एजेंसी/संगठन के लिए प्रासंगिक डेटा को अनुरोध किए जाने पर और स्वतः भी साझा किया जाता है।

(ग) : जांच और डेटा विश्लेषण के माध्यम से, आयकर विभाग ने ऐसे धोखाधड़ीपूर्ण दावों को करने में सहायता करने वाली संस्थाओं और मध्यस्थों की श्रेणियों की पहचान की है, जिनमें कर रिटर्न तैयार करने वाले और चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हैं। की गई कार्रवाई में नज अभियान, ई-सत्यापन, तलाशी और ज़ब्ती तथा सर्वेक्षण अभियान, आकलन/पुनर्मूल्यांकन, जुर्माना लगाना और अभियोजन शामिल हैं। इसके अलावा, संबंधित नियामक/प्रवर्तन संगठनों, जिनमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) भी आते हैं, के साथ कर पेशेवरों के खिलाफ यथोचित जानकारी साझा की गई है।

(घ) : सरकारी कामकाज में लापरवाही के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करना सरकार की एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है, और जब भी ऐसी कोई लापरवाही पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

(ङ) : सीबीडीटी ने इस दिशा में कई उपाय किए हैं, जिनमें आईटीआर में विवरण पहले से भरना, आईटीआर के प्रसंस्करण के चरण में सत्यापन की प्रक्रिया को सशक्त करना, करदाताओं और विभिन्न रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा दर्ज किए गए विवरणों के बीच विसंगतियों का सत्यापन, डेटा एनालिटिक्स और अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसे मामलों का पता लगाना, नज अभियान, ई-सत्यापन, तलाशी और जब्ती तथा सर्वेक्षण अभियान, आकलन/पुनर्मूल्यांकन, जुर्माना लगाना और अभियोजन आते हैं।
